(47)

न्यायालय श्रीमान [illegible] मुरैना

Resto - 1588-II/2010

प्र क्र /10 रेस्टोरेशन

मुरैना

रामहेत पुत्र रामजीलाल [illegible]
R/o ग्राम खेरा [illegible]
जि. मुरैना [illegible]

VS

म.प्र. शासन [illegible]

15.11.10

प्र क्र 1050 II 09 निगरानी को पुनः स्थापित करने हेतु -

श्रीमान जी

उपरोक्त प्रकरण में आज दिनांक 15.11.10 नियत थी।

(2) यह कि प्रार्थी की ओर से अभिभाषक के. के. दुबे एडवोकेट अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पुकार के वक्त उपस्थित नहीं हो सके इस कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित होने पर न्यायालय आदेश का पता चला इस कारण बिना देरी किये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रकरण को पुनः स्थापित किया जावे।

दि. 15.11.10

प्रार्थी

के.के. दुबे एड. रामहेत द्वारा अभिभाषक

Dubey 15/11/10
K.K. Dubey

(4D)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टोरेशन 1588–दो / 2010 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–4–14	रेस्टोरेशन प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 26.11.2010 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 4–4–2014 तक नियत होता रहा किन्तु 26.11.2010 से 4–4–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 4–4–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2010 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	